

2026:AHC-LKO:21299

इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ

अनुच्छेद 227 के तहत मामले संख्या- 1181 वर्ष 2026

रवि शंकर उपाध्याय और अन्य

..... याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

जमुना प्रसाद

.....विपक्षी(ओं)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता : आशुतोष मिश्रा

प्रतिवादी(ओं) के अधिवक्ता :

न्यायालय संख्या – 5

माननीय न्यायमूर्ति आलोक माथुर

1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री आशुतोष मिश्रा को सुना गया।
2. पारित किए जाने वाले प्रस्तावित आदेश के मददेनजर, निजी प्रतिवादी को नोटिस देने से छूट दी गई है।
3. याचिकाकर्ताओं की ओर से यह प्रस्तुत किया गया है कि प्रतिवादी ने आवासीय संपत्ति और सहन भूमि से संबंधित आदेश 39 नियम 1 और 2 के तहत अंतरिम निषेधाज्ञा के लिए एक आवेदन के साथ निषेधाज्ञा के लिए एक मुकदमा दिनांक 22.11.2001 को दायर किया था, जिसे याचिकाकर्ताओं ने अपनी पैतृक संपत्ति होना बताया है। यह मुकदमा वाद संख्या 1249 वर्ष 2021 के रूप में पंजीकृत किया गया था। याचिकाकर्ताओं की ओर से यह प्रस्तुत किया गया है कि उक्त मुकदमे की कार्यवाही में, 14.2.2003 को एक श्री शैलेन्द्र सिंह, अधिवक्ता द्वारा एक लिखित कथन दायर किया गया था, जो कथित तौर पर खुद को मुकदमे में याचिकाकर्ताओं (प्रतिवादियों)

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

के लिए अधिवक्ता बता रहा था और यह याचिकाकर्ताओं का मामला है कि उन्होंने कभी भी श्री शैलेन्द्र सिंह, अधिवक्ता को नियुक्त नहीं किया था और न ही उन्होंने उपरोक्त में लिखित कथन दाखिल किया था। याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि सभी हस्ताक्षर और वकालतनामा के साथ-साथ लिखित कथन जाली हैं और याचिकाकर्ताओं द्वारा कभी भी निष्पादित नहीं किए गए हैं। उपरोक्त परिस्थितियों में याचिकाकर्ताओं द्वारा धारा 340 भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता के तहत कार्यवाही किया गया था जिसे के विविध वाद संख्या 57 वर्ष 2003 के रूप में दर्ज किया गया था। आगे कहा गया है कि उपरोक्त मामले की फाइल भी गायब है जिसके संबंध में जिला न्यायाधीश, सुल्तानपुर द्वारा एक जांच गठित की गई है। उन्होंने कहा कि आज तक जांच की कार्यवाही जिला न्यायाधीश के समक्ष लंबित है और यहां तक कि भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 340 के तहत कार्यवाही भी विचाराधीन लंबित है।

4. उपरोक्त परिस्थितियों में याचिकाकर्ताओं ने सिविल जज (जूनियर डिवीजन) / एफटीसी सुल्तानपुर के समक्ष एक आवेदन दायर कर जिला जज द्वारा जांच के निष्कर्ष तक मुकदमे की कार्यवाही पर रोक लगाने की प्रार्थना की है। उक्त आवेदन 29.8.2005 को प्रस्तुत किया गया था। याचिकाकर्ता के आवेदन पर आदेश दिनांक 27.1.2026 के माध्यम से निर्णय लिया गया, जहां मुकदमे पर रोक लगाने के अनुरोध को खारिज कर दिया गया।

5. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि यदि मुकदमे की कार्यवाही आगे बढ़ाई जाती है तो यह लिखित बयान पर निर्णय लेने के लिए उत्तरदायी है जो याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर नहीं किया गया है और इससे याचिकाकर्ताओं पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा यदि मुकदमा कार्यवाही आगे बढ़ती है और प्रस्तुत करते हैं कि जांच कार्यवाही के साथ-साथ धारा 340 भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता के तहत कार्यवाही के समापन तक, मुकदमे की कार्यवाही पर रोक लगाई जाए।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

6. याचिकाकर्ताओं की दलीलों पर विचार करते हुए हमें विवादित आदेश में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं मिला। यह देखा गया है कि यदि याचिकाकर्ताओं का मामला यह है कि पिछला लिखित बयान उनके द्वारा दायर नहीं किया गया है, तो वह उक्त आवेदन को वापस ले सकते हैं और अदालत की अनुमति के साथ एक नया लिखित बयान दाखिल कर सकते हैं और मुकदमे की कार्यवाही को लंबित रखने का कोई कारण नहीं है, जिसे हमने देखा है कि पिछले 23 वर्षों से केवल उन तथ्यों के कारण लंबित हैं, जैसा कि याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि लिखित बयान उनके द्वारा दायर नहीं किया गया था। इतने साधारण मुद्दे पर हमें कोई आधार नहीं मिलता कि मुकदमे की कार्यवाही रोक दी जाए। याचिकाकर्ताओं के लिए पिछला लिखित बयान दाखिल करने से खुद को दूर रखना हमेशा खुला था और विचारण न्यायालय के समक्ष इस मुद्दे को उठाने के लिए यह निश्चित रूप से खुला था, लेकिन ऐसा कोई प्रयत्न नहीं किया गया है, इसके बजाय उन्होंने केवल मुकदमे की कार्यवाही को विलंबित करने की मांग की है।

7. हम याचिकाकर्ताओं द्वारा अपनाई गई ऐसी रणनीति की सराहना नहीं करते हैं जो उक्त कार्यवाही में प्रतिवादी हैं। तदनुसार, उपरोक्त कारणों से, हम विवादित आदेश में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं। याचिका में कोई दम नहीं है, तदनुसार याचिका **खारिज** की जाती है।

8. विचारण न्यायालय को संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के बाद कानून के अनुसार जल्द से जल्द मुकदमे की कार्यवाही तय करने के लिए आगे बढ़ने का निर्देश दिया जाता है।

मार्च 25, 2026

जे के दिनकर/-

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।